

एकता महिला संकुल स्तरीय संगठन कुआकोण्डा विकासखण्ड - कुआकोण्डा जिला-दन्तेवाड़ा (छ0ग0)



क्रमांक 16 / CLF-IFC / 2026

कुआकोण्डा,दिनांक 27/01/2026

//आई.एफ.सी. एंकर भर्ती विज्ञापन//

एकीकृत फार्मिंग कलस्टर अंतर्गत आईएफसी एंकर ग्रामीण क्षेत्रों के आजीविका संवर्धन हेतु फार्म, ऑफ फार्म एवं नॉनफार्म आजीविका अंतर्गत विभिन्न कार्य जैसे एग्रो इकोलॉजिकल पद्धति, मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में सुधार, फसल विविधीकरण और उत्पादकता में सुधार एवं एग्री न्यूट्री गार्डन के माध्यम से पोषण में सुधार, पशुधन प्रबंधन नस्ल में सुधार, समय पर पशु चिकित्सा, देखभाल और टीकाकरण को अपनाकर महिला एवं स्व सहायता समूह सदस्यों मुख्यतः महिला किसानों एवं पशुपालकों के आजीविका स्तर को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कलस्टर संगठन को क्रियान्वयन एंजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। इस कार्य के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.सी. एंकर की भर्ती की जानी है। जिस हेतु इच्छुक व पात्र उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित है। उक्त आई.एफ. सी. एंकर की भर्ती पुर्णकालिक के लिए ही होगी। यह भर्तियां पूर्ण रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहान अंतर्गत गठित कलस्टर संगठन के स्वामित्व के अधीन होगी। इसका किसी भी शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, निजी संस्था से कोई संबंध नहीं है।

आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 28/01/2026 व अंतिम तिथि 12/02/2026 को समय शायं 5.00 बजे अपरान्ह तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुआकोण्डा (एन0आर0एल.एम0 शाखा) जिला दन्तेवाड़ा छ.ग. के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जा सकते है।

01. आई.एफ.सी. एंकर पद की संख्या 01 हेतु आवश्यक अर्हता, मापदण्ड मानदेय व यात्रा भत्ता का विवरण -

क्र.	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम कार्यानुभव (वर्ष)	एक मुश्त मासिक मानदेय (रु.)	यात्रा भत्ता (रु. में)	वांछित अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विषय पर स्नातक / स्नातकोत्तर में उपाधि।	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता उपरान्त फील्ड स्तर पर कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका कार्य का न्यूनतम 01 वर्ष का कार्यानुभव।	30,000/-	3,000/-	<ul style="list-style-type: none"> यदि कॉलम 2 एवं 3 के अनुसार उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होती है तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ग्रामीण स्तर एवं कृषि संबंधित कार्य का 02 वर्ष का अनुभव वांछित। ग्रामीण परिपेक्ष्य एवं मार्केटिंग में कार्यानुभव को प्राथमिकता। हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में सक्षम साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। कम्प्यूटर एवं एम.एस.ऑफिस में कार्य करने में दक्ष, हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग आती हो। रिपोर्ट लेखा एवं डेटा प्रबंधन में दक्षता। क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक समस्त दस्तावेज सहित स्वयं का वाहन (दी-पाहिया)

1. आयु सीमा- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी की, 2026 की स्थिति में 21 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम हो।
2. निवासी- छत्तीसगढ़ राज्य/जिले का मूल निवासी हो।
3. IFC एंकर के मानदेय को नोडल सीएलएफ द्वारा प्रावधानित IFC बजट से जारी किया जावेगा।
4. चयन प्रक्रिया के नियम एवं शर्तें मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जावेगा।
- 5- IFC एंकर की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी जिसे परियोजना के आवश्यकता के अनुसार प्रति मूल्यांकन के आधार पर उम्मीदवार के कार्य अवधि में आगामी वर्ष हेतु बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि CLF चाहे तो IFC के अलावा) से उसकी नियुक्ति अवधि बढ़ा सकता है।
6. मूल्यांकन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
7. IFC एंकर की नियुक्ति उपरांत परवीक्षा अवधि न्यूनतम 01 माह की होगी। उक्त अवधि में कार्य मूल्यांकन उपरान्त 11 माह के लिए नियुक्ति अवधि बढ़ायी जायेगी। साथ ही नियुक्ति उपरान्त 01 वर्ष पूर्ण होने पर सीएलएफ अंतर्गत गठित समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के आधार पर विभिन्न KPI में न्यूनतम 75 प्रतिशत स्कोर प्राप्त करने पर नियुक्ति आगामी 01 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।
8. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जायेगी।
9. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। एवं कोई सुचना नहीं दी जावेगा।
10. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
11. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्तियों से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात का की समाधान हो जाये क ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो इस प्रतिबंध से छुट सकता है।
12. यदि आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है। या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कि जा सकेगी।
13. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता कलस्टर संगठन के पास सुरक्षित रहेगा।

Rev. Dr. Ram Prasad Laxmi
 अध्यक्ष/सुविध/कोषाध्यक्ष
 एकता महिला संकुल संगठन
 संकुल (कुआकोण्डा)
 संकुल कुआकोण्डा
 जिला दन्तेवाड़ा (छ0ग0)
 ननपट पंचायत

पृ. क्रमांक 16-^A/CLF-IFC/2026
प्रतिलिपी :-

कुआकोण्डा,दिनांक 27/01/2026

1. कलेक्टर महोदय, जिला दन्तेवाड़ा की ओर से सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा को सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला -दन्तेवाड़ा को सादर सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुआकोण्डा को सादर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चरपा करने हेतु सूचनार्थ।

Rev. Dr. Ram Prasad Laxmi
 अध्यक्ष/सुविध/कोषाध्यक्ष
 एकता महिला संकुल संगठन
 संकुल (कुआकोण्डा)
 संकुल कुआकोण्डा
 जिला दन्तेवाड़ा (छ0ग0)
 ननपट पंचायत कुआकोण्डा

// 02 //

अनुभव :-

.....
.....
.....

सालग्न प्रमाण पत्र :-

1.....	2.....
3.....	4.....
5.....	6.....
7.....	8.....
9.....	10.....
11.....	12.....

—:: घोषणा ::—

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि, उपरोक्त दर्शायी गई जानकारी मेरे ज्ञान व अनुभव में पूर्ण, सही व सत्य है, उक्त जानकारी असत्य पायी जाती है तो मेरा आवेदन अमान्य अथवा मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जावे।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर